न्यायालय उपखण्ड ..... मुण्डावर, जिला अलवर

थाना अन्तर्गत ..... किस्म ..... मुकदमा नं० ..... दिनांक .....

गुजवान पत्रावली .....

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर एवं तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/9/20	आज पत्रावली पेश हुई। वकील अभियोजन उप० आर्थ। बाबूलाल की प्रार्थना पत्र के बाबत बहस दर० हुई। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/शपथ-पत्र आदि सम्पूर्ण का अवलोकन किया गया। मूल प्रमाण तकादा आवेदक का होकर विचाराधीन है। दोनों पक्ष वकीलगणों के अपने प्रार्थना पत्रों के दोहराते हुए बिना विधिक तकादा के पीड़ित को एवं पार्श्व कार्रवाई की यथास्थिति बनाये रखने बाबत पूर्व के जारी अन्तरिम आदेश को मूलपाठ के निर्णायक सम्मुख किये जाने का निवेदन किया। इसी प्रकार वकीलगणों ने अपने अपने प्रार्थना पत्रों के दोहराते हुए पूर्व के जारी अन्तरिम आदेश निरस्त किये जाने का अभिवचन किया।	

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन के क्रमशः प्रथम दृष्टया का बिन्दु साबित होकर विरुद्ध अभियोजन साबित पाया जाता है तथा जब प्रथम दृष्टया का बिन्दु पक्ष प्रार्थी जिन साबित है तो सुविधा का सन्तुलन भी विरुद्ध अभियोजन होकर पक्ष प्रार्थी जिन साबित है तथा प्रथम दृष्टया व सुविधा का सन्तुलन के बाबत के दोनों बिन्दु पक्ष प्रार्थी जिन साबित पाये जाने की स्थिति में अपूरणीय क्षति के बाबत का बिन्दु भी पक्ष प्रार्थी जिन के हक में साबित पाया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त अनुसार पूर्व के जारी अन्तरिम कार्रवाई निषेधाज्ञा के बाबत के आदेश को मूलपाठ के निर्णायक सम्मुख किया जाकर प्रार्थी जिन की प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाती है। फैसला सुनाया गया। नस्ल ऐसा हो। पत्रावली में संलग्न मूल रखा रहे। सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.30 10:05:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)